प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 15 मई,2015**

विषय: **अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन की योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि के अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-20-21/बजट-आयोजनागत/2015-16, दिनांक 23.4.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन की योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रू0-900 हजार (रूपये-नौ लाख) मात्र को** निम्नलिखित विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/योजना का नाम	**कोड सं0/मद का नाम**	**आय-व्ययक प्राविधान**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत 108-वाणिज्यिक फसलें- 07-उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	1800	900
योग		**1800**	**900**

(रूपये-नौ लाख मात्र)

(1) अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 के क्रियान्वयन हेतु हाफेड द्वारा बायर सेल मीट के कार्यक्रम आयोजित करने पर ही किया जायेगा। अन्य कार्यक्रमों/मदों पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान तथा सम्बन्धित हाफेड अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय सीमा के भीतर किया जायेगा।

(4) अवमुक्त की जा रही प्रथम किश्त की धनराशि का 60 प्रतिशत उपयोग हो जाने के उपरान्त अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(5) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

(6) धनराशि व्यय करने के पूर्व आवश्यकतानुसार भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का पालन पूर्णतया किया जायेगा।

(7) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जायेगा।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने के पूर्व कार्य-योजना/प्रत्येक प्रस्तावित बायर सेलर मीट के कार्यक्रम के आयोजन से एक पक्ष पूर्व अवगत कराया जायेगा।

(9) अप्रयुक्त धनराशि यथासमय शासन को समर्पित की जायेगी।

(10) अवमुक्त् की जा रही धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या: 9/2015-946(1)/58-2015, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in